भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1201
27.07.2026 को उत्तर के लिए

जल प्रदूषण दिशानिर्देश, 2026 के तहत स्व-प्रमाणन

1201. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी. :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'जल प्रदूषण नियंत्रण संशोधन दिशानिर्देश, 2026' के अंतर्गत सूक्ष्म और छोटी इकाइयों के लिए स्व-प्रमाणन के माध्यम से डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान संवेदनशील नदी बेसिनों के निकट पारिस्थितिकीय क्षरण पहुँचाने का जोखिम बढ़ाता है;

(ख) तिरुनेलवेली में थामिराबरानी नदी बेसिन के पास स्थित 'रेड' और 'ऑरेंज' श्रेणी के औद्योगिक संकुलों द्वारा खतरनाक अपशिष्ट प्रवाह संबंधी नियमों के पालन की निगरानी के लिए कौन से विशिष्ट संरक्षा उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या आधी रात को अवैध रूप से खतरनाक कचरा फेंकने की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए कोई तात्कालिक समुदाय-आधारित पर्यावरण निगरानी पैनल बनाए गए हैं; और

(घ) अद्यतन किए गए 2026 नियमों के अंतर्गत, बार-बार नियम तोड़ने वाली बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के विरुद्ध कठोर दंड़ के किन प्रावधानों का अधिदेश किया गया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) जल प्रदूषण नियंत्रण (सहमति प्रदान करना, अस्वीकार करना या रद्द करना) संशोधन दिशानिर्देश, 2026 में यह प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा विधिवत अधिसूचित औद्योगिक एस्टेट या औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के लिए निर्धारित प्रपत्र में स्व-प्रमाणित आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो यह मान लिया जाएगा कि उन्हें स्थापना हेतु सहमति प्रदान कर दी गई है।

इन दिशानिर्देशों के तहत, औद्योगिक एस्टेट अथवा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों द्वारा संचालन हेतु सहमति प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

इसके अलावा, औद्योगिक एस्टेट अथवा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित न होने वाली सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों से स्थापना हेतु सहमति तथा संचालन हेतु सहमति प्राप्त करनी होगी।

जल प्रदूषण नियंत्रण (सहमति प्रदान करना, अस्वीकार करना या रद्द करना) संशोधन दिशानिर्देश, 2026 के अंतर्गत प्रदत्त मानित अनुमोदन / स्व-प्रमाणीकरण संबंधी प्रावधान, किसी भी पात्र सूक्ष्म एवं लघु इकाई को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जारी पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अनुसार यथापेक्षित पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने से छूट प्रदान नहीं करते हैं। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की अपेक्षा, ईआईए अधिसूचना, 2006 में यथानिर्दिष्ट परियोजना/कार्यकलाप की प्रकृति, आकार एवं क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसके अतिरिक्त, सभी अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों से यह अपेक्षित है कि वे ईआईए अधिसूचना, 2006, जिसमें पर्यावरणीय नियंत्रण उपाय भी शामिल हैं, के तहत संबंधित प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करें।

(ख) और (ग) तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, तिरुनेलवेली में थामिराबरानी नदी बेसिन के निकट कोई भी औद्योगिक क्लस्टर नहीं है।

तमिलनाडु में, दिनांक 30.03.1989 का जी. ओ. एमएस. सं 213 का सरकारी आदेश प्रभावी है। उक्त सरकारी आदेश के अनुसार, "गंभीर जल प्रदूषण उत्पन्न करने वाले किसी भी उद्योग को नदियों, नालों, बांधों आदि के तटबंधों से एक किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।" इसके परिणामस्वरूप, थामिराबरानी नदी के निकट अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं है। तथापि, थामिराबरानी नदी के निकट ऐसे दो उद्योग–मैसर्स मदुरा कोट्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स सन पेपर मिल लिमिटेड स्थित हैं, जिनकी स्थापना उक्त सरकारी आदेश के जारी होने से पूर्व की गई थी। मैसर्स मदुरा कोट्स प्राइवेट लिमिटेड की इकाई द्वारा शून्य तरल अपशिष्ट स्त्राव प्रणाली कार्यान्वित की गई है। मैसर्स सन पेपर मिल लिमिटेड वर्ष 2021 से संचालनरत नहीं है।

टीएनपीसीबी ने जैव चिकित्सा और ठोस अपशिष्ट सहित विभिन्न प्रकार के कचरे को अवैध रूप से एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने, जल निकायों में अपशिष्टों के अनधिकृत निर्वहन की निगरानी के लिए एक विशेष कार्य बल के रूप में उड़न दस्तों (फ्लाइंग स्क्वॉड) की स्थापना की है। ये उड़न दस्ते समय-समय पर पास की नदियों के अंतरप्रवाह कुओं से जल के नमूने एकत्र करता है। ये दस्ते पुलिस, राजस्व, परिवहन और स्थानीय निकायों जैसे संबंधित विभागों के साथ समन्वय करते हैं।

(घ) जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से संशोधित वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 में लगातार उल्लंघन के लिए जुर्माने का प्रावधान है, जिसमें ऐसे उल्लंघन की अवधि के दौरान प्रतिदिन दस हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना शामिल है। इसके अलावा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से संशोधन किया गया है, जिसमें कंपनियों द्वारा उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है, जिसमें यदि कोई कंपनी धारा 15ए (1) के तहत उल्लंघन जारी रखती है, तो कंपनी पर उल्लंघन के प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये के अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।
